

सं.निससप्रनि/इबी/2025/वसूली/1852  
No.DCSEM/EB/2025/Recovery/1852

19 दिसंबर, 2025

### परिपत्र/CIRCULAR

चेंबूर, घाटकोपर, बांद्रा और ओल्ड मंडला में बिजली के मीटर वर्तमान में आबंटियों के नाम पर हैं और सुरक्षा जमा राशि भी उन्हीं के द्वारा भुगतान की जा रही है।

The Electricity meters at Chembur, Ghatkopar, Bandra and Old Mandala are presently in the name of the Allottees and the Security Deposit are also being paid by them.

यह देखा गया है कि नए आबंटनकर्ता बिजली कनेक्शन अपने नाम पर स्थानांतरित नहीं करवाते हैं, जिसके कारण पिछले आबंटनकर्ता द्वारा जमा की गई सुरक्षा जमा राशि मेसर्स अदानी इलेक्ट्रिसिटी द्वारा उन्हें वापस नहीं की जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए, चेंबूर, घाटकोपर, बांद्रा और ओल्ड मंडला स्थित विभागीय फ्लैटों में बिजली मीटर कनेक्शन/डिस्कनेक्शन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

It has been observed that the incoming allottee does not transfer the electricity connection in their name due to which the security deposit paid by the outgoing allottee does not get refunded to them by M/s. Adani Electricity. In order to address the issue, the following modality will be adopted for the electricity meter connection/disconnection of departmental flats at Chembur, Ghatkopar, Bandra and Old Mandala as detailed below:

1. आबंटन अनुभाग द्वारा आबंटन छोड़ने वाले आबंटिती को फ्लैट खाली करने का पत्र जारी किए जाने पर, आबंटिती को सेवा प्रदाता को बिजली आपूर्ति बंद करने का आवेदन प्रस्तुत करना होगा और अपनी सुरक्षा जमा राशि सहित अंतिम बिल का भुगतान करना होगा।

On issue of vacation letter from Allotment section to the outgoing allottee, the allottee shall submit power supply disconnection application to the service provider and settle the final bill including his/her Security Deposit.

2. नए आवंटित व्यक्ति को आबंटन आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों की अवधि में इंस्टालेशन/नया कनेक्शन कराने का समय दिया जाएगा।

The incoming allottee will be given a time period of 30 days from the date of issue of the allotment order for installation/new connection.

:2:

3. यदि 30 दिनों की अवधि बीत जाने के बाद भी मीटर नहीं लगाया गया है/कनेक्शन प्राप्त नहीं हुआ है, तो फ्लैट बदलने के मामलों में नए फ्लैट की चाबियां प्राप्त होने की तारीख से लाइसेंस शुल्क की क्षतिपूर्ति दर लागू की जाएगी।

In case the meter has not been installed/connection obtained even after a period of 30 days, damage rate of license fees will be levied from the date of drawal of the keys of the new flat for shifting cases.

4. मीटर कनेक्शन के लिए नए आबंटनकर्ता द्वारा किए गए सभी शुल्क आबंटनकर्ता द्वारा ही वहन किए जाएंगे।

The charges incurred by the incoming allottee towards meter connection will be entirely borne by the allottee.

5. नए आबंटन प्राप्तकर्ता को मीटर स्थापना रिपोर्ट की एक प्रति संबंधित टीटीएम को जमा करनी होगी। मीटर स्थापना रिपोर्ट की तिथि के आधार पर, बिजली सेवा प्रदाता (मेसर्स अदानी इलेक्ट्रिसिटी) द्वारा बिजली मीटर की स्थापना की तिथि से या 30 दिन, जो भी पहले हो, से मकान किराया भत्ता और लाइसेंस शुल्क का भुगतान विनियमित किया जाएगा।

The incoming allottee will have to submit a copy of the meter installation report to the respective TTMs. Based on the date of installation report, the drawal of HRA and the license fees will be regulated from the date of installation of electricity meter by service provider (M/s. Adani Electricity) or 30 days whichever is earlier.

6. यदि फ्लैट बदलने की स्थिति में, नए फ्लैट में बिजली कनेक्शन मिलने की तारीख से तीसरे दिन की पूर्वाह्न तक पुराने फ्लैट की चाबियां और अंतिम भुगतान किए गए बिजली बिल की प्रति जमा नहीं की जाती है, तो लाइसेंस शुल्क की क्षतिपूर्ति दर लागू होगी।

In case of shifting, damage rate of License Fees will be levied if the keys of old flat along with a copy of the final paid electricity bill is not submitted on the forenoon of the third day including the date on which the electricity connection is obtained in the new flat.

इसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This issues with the approval of the Competent Authority.

*आशा जैसन*  
19.12.2025  
(आशा जैसन/Asha Jaison)

प्रशासन अधिकारी/Administrative Officer-III

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद /Chief Administrative Officer, AERB
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी(ए), भापअकेंद्र / Chief Administrative Officer (A), BARC
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, ब्रिट / Chief Administrative Officer, BRIT
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, क्रय एवं भंडार निदेशालय/ Chief Administrative Officer, DPS
5. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एचबीएनआई/ Chief Administrative Officer, HBNI
6. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, एनआरबी/ Chief Administrative Officer, NRB
7. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, भारी पानी बोर्ड/ Chief Administrative Officer, HWB

:3:

8. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, आईईएस/ Chief Administrative Officer, AEES
9. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, टीएमसी/ Sr. Administrative Officer, TMC
10. अवर सचिव (प्रशासन), परमाणु ऊर्जा विभाग/ Under Secretary (Admn.), DAE
11. अवर सचिव (एसयूएस), परमाणु ऊर्जा विभाग/ Under Secretary (SUS), DAE
12. प्रशासन अधिकारी (के), निसेसंप्रनि/ Administrative Officer (K), DCSEM
13. वरिष्ठ प्रबंधक (एच आर), एनपीसीआईएल, वी एस भवन/ Sr. Manager (HR), NPCIL, V.S. Bhavan
14. प्रशासनिक अधिकारी (जीए), टीआईएफआर/ Administrative Officer (GA), TIFR
15. उप प्रबंधक (एचआरएम), आईआरईएल/ Dy. Manager (HRM), IREL
16. केंद्र निदेशक, यूजीसी-पऊवि-सीएसआर / Centre Director, UGC-DAE-CSR
17. जन संपर्क अधिकारी, एनएफसी, पऊवि / Liaison Officer, NFC, DAE
18. प्रधान (ईआईटीएसडी), निसेसंप्रनि - अनुरोध है कि इस परिपत्र को निसेसंप्रनि वेबसाइट पर प्रदर्शित करें। Head (E&ITSD), DCSEM-with a request to publish the circular and its contents on DCSEM website.

प्रतिलिपि/Copy to:

1. निदेशक का कार्यालय, नि.से.सं.प्र.नि/Office of Director, DCSEM
2. मु.प्र.अ, नि.से.सं.प्र.नि /CAO, DCSEM
3. उ.ले.नि, नि.से.सं.प्र.नि DCA, DCSEM
4. चेंबूर, एलजीआर और ओल्ड मंडला अनुरक्षण इकाई के सूचना पट्ट / Notice Boards of Chembur, LGR and Old Mandala Maintenance Unit.